भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 910

दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

धार्मिक और तीर्थ स्थलों में भूमिगत जल निकासी प्रणाली का प्रावधान करना

910. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के कई धार्मिक और तीर्थ स्थलों में उचित भूमिगत जल निकासी (यूडीजी) प्रणाली का अभाव है, जिसके कारण अपशिष्ट जल निकटवर्ती नदियों, झीलों और अन्य जल स्त्रोतों में मिल जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखने वाले पवित्र जल निकायों में प्रदूषण को रोकने के लिए ऐसे स्थलों पर उचित भूमिगत जल निकासी और जल शोधन सुविधाएं स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या श्रद्धालुओं और स्थानीय समुदायों के लिए स्वच्छ जल स्त्रोत सुनिश्चित करने हेतु नमामि गंगे या अन्य स्वच्छता कार्यक्रमों जैसी मौजूदा याजनाओं के अंतर्गत तीर्थ स्थलों को प्राथमिकता देने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;

(घ) क्या सरकार ने अवजल और जल निकासी की समस्याओं का सामना कर रहे प्रमुख तीर्थ स्थलों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हाँ, तो इस समस्या के समाधान के लिए कौन-सी योजना बनाई गई है; और

(ङ) क्या सरकार का धार्मिक स्थलों पर यूडीजी और अवजल शोधन परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए विशेष निधि आवंटित करने और राज्यों के साथ सहयोग करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ङ): देश में नदियां और अन्य जल निकाय मुख्य रूप से शहरों/कस्बों से अनुपचारित या आंशिक रूप से उपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों को उनके संबंधित जलग्रहण क्षेत्रों में छोड़ने, ठोस

अपशिष्टों को डंप करने, कृषि अपवाह, सीवेज/अपशिष्ट उपचार संयंत्रों के संचालन और रखरखाव में समस्याओं, घुलनशीलता की कमी और प्रदूषण के अन्य गैर-बिंदु स्रोतों के कारण प्रदूषित होते हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और स्थानीय निकायों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्राप्तकर्ता जल निकायों या भूमि में प्रवाह से पहले सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों का आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें।

यह मंत्रालय गंगा और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम और देश की अन्य नदियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत, भूमिगत अपशिष्ट जल परिवहन प्रणाली सहित प्रदूषण निवारण और सीवरेज अवसंरचना संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, हरिद्वार, वाराणसी, ऋषिकेश, गंगोत्री, बद्रीनाथ, प्रयागराज और सुल्तानगंज जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों और नदी नगरों में श्रद्धालुओं और स्थानीय आबादी, दोनों के लिए स्वच्छ नदी जल सुनिश्चित करने हेतु कई स्वच्छता पहल लागू की गई हैं। इसी प्रकार, एनआरसीपी के अंतर्गत आने वाले धार्मिक/तीर्थ स्थलों में राजमुंदरी, पंबा, श्रीरंगपटना, नासिक, त्रयंबकेश्वर, पुरी, इरोड, मदुरै और तंजावुर शहर शामिल हैं।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में, अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छ भारत मिशन - शहरी की योजनाओं को धार्मिक एवं तीर्थ स्थलों सहित चिन्हित कस्बों में क्रियान्वित किया जा रहा है। भूमिगत जल निकासी व्यवस्था से जुड़ी इन योजनाओं का उद्देश्य धार्मिक स्थलों सहित विभिन्न कस्बों में नदियों और अन्य जल निकायों की जल गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्था और जल प्रबंधन में सुधार लाना है।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-2015 में शुरू की गई तीर्थयात्रा पुनरूद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रशाद) की धार्मिक पर्यटन पर केंद्रित केंद्रीय क्षेत्र की योजना, पूरे भारत में तीर्थस्थलों और विरासत स्थलों के विकास और संवर्धन हेतु प्रावधान करती है। इस योजना का उद्देश्य इन स्थलों को योजनाबद्ध, टिकाऊ और समग्र रूप से एकीकृत करना, बुनियादी अवसंरचना में सुधार, स्वच्छता को बढ़ावा देना, सुगम्यता सुनिश्चित करना और समग्र पर्यटक अनुभव को बेहतर बनाना है।

*****